



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29042022-235434
CG-DL-E-29042022-235434

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1917]
No. 1917]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 29, 2022/वैशाख 9, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 29, 2022/VAISAKHA 9, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 2022

का.आ. 2017(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः:-

उक्त अनुसूची में, क्रम सं. 6ए तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः:-

तालिका

क्र. सं.	नई रारा सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण
(1)	(2)	(3)
6ए	502ए	मिजोरम राज्य में जोरिनपुइ के निकट अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर स्पर सहित हमावंगबू को जोड़ने वाला और लोंगमासू के निकट समाप्त होने वाले राजमार्ग के साथ मिजोरम राज्य में रारा-2 पर लावंगतलाइ से प्रारंभ होकर म्यांमार सीमा (कलादान सड़क) पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।

[फा. सं. एनएच-14012/9/2022-पी एंड एम-पार्ट (1)]

राजेश गुप्ता, निदेशक

पाद टिप्पण : राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और तत्संबंधी अनुसूची, भारत के राजपत्र में का.आ. सं. 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 के तहत प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. का.आ. 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित की गई थी और पिछली बार संशोधन अधिसूचना सं. का.आ. 1130(अ), दिनांकित 11 मार्च, 2022 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th April, 2022

S.O. 2017(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Road Transport and Highways published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O 689 (E), dated, the 4th April, 2011, namely:-

In the Schedule, for serial number 6A and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

TABLE

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
6A	502A	The highway starting from Lawngtlai on NH-2 and terminating at Mynamar Border (Kaladan Road) in the state of Mizoram including the spur starting from its junction near Zorinpui connecting Hmawngbu and terminating near Longmasu in the State of Mizoram.

[F. No. NH-14012/9/2022-P&M-Part (1)]

RAJESH GUPTA, Director

Footnote : The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was substituted vide notification number S.O.689 (E), dated 4th April, 2011 published in the Gazette of India, dated the 4th April, 2011 and subsequently amended vide notifications number S.O. 1130(E), dated 11th March, 2022.